

इलाहाबाद विकास प्राधिकरण

14


पत्रांक : 112 / प्र0अ0-भवन / जोन-1 / प्र0 / 2013-14 दिनांक 05 / 07 / 2014

अनुमति-पत्र


यह अनुमति उ0प्र0 नगर नियोजन तथा विकास अधिनियम 1973 की धारा 14 व 15 के अन्तर्गत दी जाती है, किन्तु अर्थ यह न समझना चाहिये कि उस भूमि के सम्बन्ध में जिस पर व्यवसायिक भवन मानचित्र स्वीकृत किया जा रहा है, इससे किसी प्रकार या किसी स्थानीय निकाय या इसका स्थानीय अधिकारी या व्यक्ति अथवा फर्म के मालिकाना अधिकारों पर कोई असर पड़ेगा अर्थात् यह अनुमति किसी के मित्कियत या स्वामित्व के अधिकारों के विरुद्ध कोई प्रभाव नहीं डालेगी।

श्री अवधेश बहादुर सिंह पुत्र श्री जय नारायण सिंह द्वारा भवन संख्या-205/170/4 कर्नलगंज, चिन्तामणि घोष रोड इलाहाबाद जोन संख्या (1) के अन्तर्गत व्यवसायिक भवन के निर्माण हेतु दाखिल मानचित्र के प्रस्तावित भाग पर निर्माण की अनुमति उपाध्यक्ष महोदय के अनुमोदनादेश दिनांक 18.06.2014 के क्रम निम्नांकित प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान की जाती है :-

1. उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 15ए (1) के प्राविधानों के अनुरूप पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त होने के पश्चात् ही उपभोग/अधिभोग किया जायेगा, भवन निर्माण एवं विकास उपविधि 2008 में उपविधि संख्या-2.1.8 एवं 3.1.8 में निर्धारित प्रक्रिया पूर्ण कर पूर्णता प्रमाण-पत्र प्राप्त करना आवश्यक है।
2. यह स्वीकृति अनन्तिम (Provisional) स्वीकृति के रूप में होगी। निर्माण पूर्ण होने के उपरान्त, सभी आवश्यक Mandatory Clearances/N.O.C की शर्तें पूर्ण करने के पश्चात्, निर्गत किये जाने वाले 'पूर्णता प्रमाण-पत्र' प्राप्त करने के बाद ही इस परिसर को वास्तविक उपयोग में लाया जा सकेगा।
3. स्थल पर 4X3 फिट का एक बोर्ड लगाकर प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत मानचित्र सम्बन्धी विवरण अंकित करना अनिवार्य होगा, जिसमें आर्किटेक्ट/इन्जीनियर के फर्म का नाम भी अंकित हो।
4. स्थल पर (03) अद्द वृक्ष लगाने होंगे तथा वृक्षों को हरा-भरा रखने का दायित्व आवेदक का होगा।
5. भवन उपविधि के अध्याय (3) प्रस्तर 3.1.9 संरक्षित स्मारको/हेरीटेज स्थलों के समीप निर्माण की अनुज्ञा के नियम प्रभावी होंगे। स्थल पर बेसमेन्ट में स्टोर तथा भूतल पर व्यवसायिक हाल तथा पार्किंग का निर्माण अनुमन्य होगा।
6. मानचित्र में दर्शित पार्किंग स्थल का उपयोग पार्किंग हेतु ही किया जाय, पार्किंग से इतर उपयोग पाये जाने पर उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की सुसंगत धाराओं के तहत कार्यवाही की जायेगी, जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी आपकी होगी।
7. मानचित्र की स्वीकृति की वैधानिकता मात्र पाँच वर्ष की अवधि के लिए है।
8. माननीय न्यायालय में कोई वाद होने अथवा उत्पन्न होने की स्थिति में प्रदत्त स्वीकृति माननीय न्यायालय के निर्णय के अधीन होगी। यह स्वीकृति भू-स्वामित्व का अधिकार प्रदान नहीं करती है। भू-स्वामित्व सम्बन्धी कोई भी विवाद सक्षम न्यायालय/प्राधिकारी द्वारा ही निस्तारित किया जा सकता है।
9. यदि आवेदक द्वारा कोई महत्वपूर्ण सूचना छिपायी गयी है अथवा गलत सूचना दी गयी है तो उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 15 (9) के अन्तर्गत मानचित्र निरस्त करने योग्य होगा।
10. मकान निर्माण से यदि नाली के सड़क की पटरी अथवा सड़क या नाली के किसी भाग (जो मकान के आग्र भाग, पृष्ठ भाग अथवा उसके आकार के कारण ढक गई हो) को हानि पहुँचे, तो गृहस्वामी उसे विलम्बतम 15 दिन के भीतर अथवा यदि विकास प्राधिकरण ने एक लिखित सूचना द्वारा और शीघ्र निर्मित किये जाने की अपेक्षा करे तो अपने खर्च से अपेक्षित समयावधि के अन्दर मरम्मत कराकर पूर्ववत् अवस्था पुनर्स्थापित करना अनिवार्य होगा।
11. गृह निर्माण के समय इसका भी ध्यान रखना होगा कि भारतीय विद्युत अधिनियम 1956 (इण्डियन इलेक्ट्रिसिटी रूल्स 1965) नियम 82 का उल्लंघन किसी भी दशा में न होना चाहिए। यदि विकास प्राधिकरण की जानकारी में ऐसे मामले पाये गये तो वह ऐसे निर्माण को रोक अथवा हटवा सकता है।
12. आवेदक को नियमानुसार विकास प्राधिकरण को मकान की नींव तक तथा छत तक बन जाने एवं उसके पूर्ण हो जाने की सूचना मकान आबाद होने से पूर्व देना होगा तथा उस व्यक्ति का नाम भी देना होगा जिसके निरीक्षण में मकान निर्मित हुआ है।
13. यदि निर्माण में मास्टर प्लान/जोनल प्लान/ले-आउट का उल्लंघन होता पाया गया, तो निर्माणकर्ता को दी गई स्वीकृति रद्द समझी जायेगी और किया गया निर्माण अनधिकृत घोषित कर उक्त अधिनियम की धारा 27 (1) के अन्तर्गत कार्यवाही आरम्भ की जायेगी।


05/07/2014
(पुष्कर श्रीवास्तव)

प्रभारी अधिकारी (त0स0-2)
इलाहाबाद विकास प्राधिकरण,
इलाहाबाद
de


7.7.2014


PROPOSED COMMERCIAL BUILDING PLAN OF
 PLOT NO.- 4 HOUSE NO.-205/170/04
 MOHALLA COLONELGANI CHINTA MANI
 GHOSH ROAD PARAGANA AND THESEL SADAR
 ALLAHABAD

OWNER - SRI.-ADWESH BHADUR SINGH
 S/O -LATE.- JAI NARAIN SINGH

1. TOTAL AREA OF PLOT 286.88 SQ.MT.
2. LAND LEFT FOR R/W 30.64 "
3. NET PLOT AREA 256.24 "
4. PROPOSED ON BASEMENT 73.86 "
5. PROPOSED AREA ON G.F. 100.24 "
6. OPEN AREA ON G.F. 156.00 "
7. MUMTY AREA 19.87 "
8. GROUND COVERAGE 39.12 %
9. F. A. R. 0.39
10. PARKING AREA (OPEN) 46.37 "

1. SCHEDULE OF DOOR WINDOW & VENT.
2. DOOR D 1000X2400
3. DOOR D1 900X2400
4. DOOR D2 750X2400
5. WINDOW W 1500X2000
6. WINDOW W1 900X2000
7. VENT. V 750X600
8. R.S. R.S. 2245X2400











SCALE-
1:100



THIS IS TO CERTIFIED THAT THIS
 MAP IS ACCORDING TO BUILDING
 BYE LAWS 2012 AND ALLAHABAD
 MASTER PLAN - 2021

AWAS CONSULTANTS
 Building Planning, Structural Design
 A.M.E (INDIA) Reg. No. AP/09/0473
 300/92A, B.H.S. Allapur, Allahabad

आवश्यक/निम्नलिखित...
 प्रकल्प के लिए...
 अनुमति प्राप्त है।



KEY PLAN
NOT TO SCALE

Handwritten signature and notes.